

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12829/2024

गौरव पालीवाल पुत्र श्री मेघराज पालीवाल, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी
जगियो का बास, होपडी, फलोदी, जोधपुर, जिला जोधपुर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव के माध्यम से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110001।
2. अध्यक्ष/सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, सी-20, 1/ए/8, सेक्टर 62,
आईआईटी आउटरीच सेंटर, नोएडा- 201309।
3. वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा), नीट (यूजी)-2024, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, सी-
20, 1/ए/8, सेक्टर 62, आईआईटी आउटरीच सेंटर, नोएडा- 201309।
4. प्राचार्य एवं नियंत्रक, राजस्थान स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय,
जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान।
5. केंद्र अधीक्षक, नीट (यूजी) परीक्षा-2024, सेंट एन्स सीनियर सेकेंडरी
स्कूल, सेक्टर-बी, सरस्वती नगर, जोधपुर, राजस्थान।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री कैलाश जांगिड़

श्री मोहन सिंह शेखावत

श्री कुणाल सिंह राठौड़

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री रूपेश कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

वीसी के माध्यम से सहायता प्राप्त

प्रतिवादी नंबर 2 और 3 की ओर से

श्री मुकेश राजपुरोहित, डिप्टी एस.जी.द्वारा सहायता

प्रदान की गई

श्री उत्तम सिंह राजपुरोहित

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

आदेश

रिपोर्ट योग्य

27/08/2024

1. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी), 2024 परीक्षा (जिसे आगे 'नीट (यूजी)' कहा जाएगा) में शामिल होने के लिए फॉर्म प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता को परीक्षा केंद्र: सेंट ऐनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-बी, सरस्वती नगर, बासनी, जोधपुर में रोल नंबर 3904290073, टेस्ट बुकलेट/ ओएमआर उत्तर पत्रक नंबर 7796689 और टेस्ट बुकलेट कोड क्यू6 आवंटित किया गया था।

2. परीक्षाएं 05.05.2024 को आयोजित की गई थीं। याचिकाकर्ता के अनुसार, जब उसे टेस्ट बुकलेट दी गई, तो वह बीच से फटी हुई थी और टेस्ट बुकलेट वाले पैकेट को खोलने की प्रक्रिया में कैंची के इस्तेमाल के कारण न केवल सभी पृष्ठ बल्कि ओएमआर शीट पर भी दो तीन कट थे। याचिकाकर्ता ने दावा

किया है कि ऐसी पुस्तिका प्राप्त होने पर, उसने निरीक्षक से पुस्तिका बदलने का अनुरोध किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

3. 29.05.2024 को, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा अनंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई और आपत्तियां आमंत्रित की गईं। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के शिकायत पोर्टल पर 31.05.2024 को ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उसका प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट कैंची से कट गई, जिसका उपयोग प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं वाले पैकेट को खोलने के लिए किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत (दिनांक 31.05.2024 को ई-मेल के माध्यम से) नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है: "मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे NEET-UG परीक्षा के दिन मेरे परीक्षा केंद्र पर निरीक्षकों की गलती के कारण मेरे प्रश्न पत्र के साथ-साथ OMR शीट भी कैंची से कट गई थी और ये निशान अभी भी मेरे प्रश्न पत्र पर मौजूद हैं और मैं संलग्न फ़ाइल में उनकी तस्वीरें भी साझा कर रहा हूं। मैंने वहां आपत्ति जताई और प्रश्न पत्र के साथ-साथ OMR शीट को बदलने का भी अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, अब जब आपने OMR शीट अपलोड की है तो मुझे पता चला है कि OMR रीडर प्रश्न संख्या 38 के लिए मेरी शीट में 1 गलत उत्तर पर विचार कर रहा है, जिसे मैंने प्रयास भी नहीं किया था। यह कैंची से कागजों को काटने के दौरान OMR शीट पर मौजूद निशान के कारण है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप मेरे प्रश्न संख्या 38 को मैनुअल रूप से जांचें ताकि यह आपके लिए स्पष्ट हो जाए कि यह मेरे द्वारा प्रयास नहीं किया गया था और कृपया इसके लिए नकारात्मक अंक न काटें। वह प्रश्न इसलिए नहीं पूछा क्योंकि यह मेरा प्रयास नहीं था। दयालु और त्वरित प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।"

4. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार नहीं किया गया, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

याचिकाकर्ता ने अपने इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए कि दोनों प्रश्न-पुस्तिकाएँ फटी हुई थीं, अपनी मूल प्रश्न-पुस्तिका तथा अपनी ओएमआर शीट की फोटोकॉपी भी अभिलेख पर प्रस्तुत की है।

5. परीक्षण-पत्र पुस्तिका के अवलोकन पर इस न्यायालय ने कैंची अथवा किसी अन्य धारदार औजार के निशान देखे, जिसके कारण प्रश्न-पुस्तिका में छेद अथवा निशान देखा जा सकता है।

6. दिनांक 16.08.2024 को प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की मूल ओएमआर शीट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए निशान/काटने का दावा सही है अथवा नहीं।

7. आज याचिकाकर्ता की मूल ओएमआर शीट न्यायालय के अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गई है। इसके अवलोकन पर इस न्यायालय ने पाया कि ओएमआर शीट बीच में से फटी हुई है तथा उस पर एक छोटा सा निशान है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रश्न संख्या 38 के विकल्प संख्या 3 के सामने छेद/काटना/विरूपण है।

8. याचिकाकर्ता की उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर 'महत्वपूर्ण निन्दर्देश' के बिन्दु संख्या 4 के 'लगाने' शब्द के ठीक नीचे एक और छोटा छेद है, जो ओएमआर शीट के प्रश्न संख्या 38 के विकल्प संख्या 3 और 4 की ओर नीचे चला गया है।

9. याचिकाकर्ता की ओएमआर शीट की फोटोकॉपी (पेपर बुक का पृष्ठ संख्या 126) में प्रश्न संख्या 38 के विकल्प संख्या 3 के लिए बने गोले या बुलबुले में एक छोटा दाग/छाप है।

10. याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने प्रश्न संख्या 38 का प्रयास नहीं किया था तथा अन्य 10 प्रश्न प्रश्न संख्या 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49 तथा 50 का प्रयास किया था।

11. याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि चूंकि उसने प्रश्न संख्या 38 का प्रयास ही नहीं किया था, इसलिए ऐसे प्रश्न के लिए नकारात्मक अंक नहीं दिए जा सकते थे, विकल्प संख्या 3 को उसके द्वारा भरा गया उत्तर मानते हुए उसे गलत उत्तर माना जा सकता था, क्योंकि सही उत्तर विकल्प संख्या 2 था।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश जांगिड़ ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने प्रश्न संख्या 38 को याचिकाकर्ता द्वारा हल किया गया प्रश्न मान लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के बाद, उन्होंने प्रश्न संख्या 50 की जांच भी नहीं की, जबकि उसके लिए दिया गया उत्तर (विकल्प संख्या 2) मॉडल उत्तर कुंजी के अनुसार सही उत्तर था।

13. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादियों ने न केवल प्रश्न संख्या 38 को प्रयास किया हुआ मानकर गलती की है, बल्कि प्रश्न संख्या 50 के उत्तर को भी नजरअंदाज किया है।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जांगिड़ ने न्यायालय का ध्यान प्रश्न पुस्तिका पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों के निर्देश संख्या 2 (बी) की ओर आकर्षित किया तथा बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को खंड बी में दिए गए 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के उत्तर देने थे तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि निर्देश पुस्तिका के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा हल किए गए पहले 10 प्रश्नों पर विचार किया जाना था।

15. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रूपेश कुमार ने यद्यपि इस तथ्य को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए अनुसार ओएमआर शीट फटी हुई पाई गई थी, परंतु उन्होंने परीक्षक अथवा प्रतिवादियों के किसी प्रतिनिधि की ओर से गलती अथवा चूक के कारण ऐसा होने से इनकार किया।

16. यह इंगित करते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 31.05.2024 को ई-मेल के माध्यम से उठाई गई शिकायत केवल प्रश्न संख्या 38 के संबंध में थी तथा प्रश्न संख्या 50 के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अपने मामले में सुधार नहीं कर सकता तथा ऐसी दलील नहीं दे सकता जो पहले नहीं उठाई गई थी।

17. ऐसा कहने के पश्चात, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का सबसे अच्छा तर्क यह हो सकता है कि प्रश्न संख्या 38 के लिए दिए गए नकारात्मक अंक हटा दिए जाएं, लेकिन प्रश्न संख्या 50 के लिए उसके तर्क पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत नहीं उठाई गई थी।

18. प्रस्तुतियों के दौरान, प्रतिवादियों द्वारा अप्रयुक्त ओएमआर शीटों का विधिवत पैक किया गया बॉक्स प्रस्तुत किया गया, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि 24 प्रश्न पुस्तिकाएं पर्याप्त मोटाई के नालीदार बॉक्स में पैक की गई थीं तथा याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए अनुसार कटिंग या छाप संभव नहीं है।

19. यह भी कहा गया कि यदि इस स्तर पर कोई रियायत दी जाती है या याचिकाकर्ता के अंकों को सही करने का आदेश दिया जाता है, तो इससे हजारों छात्रों के भाग्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो इस न्यायालय के समक्ष पक्ष नहीं हैं।

20. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा श्री अनिल कुमार खत्री के माध्यम से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। तात्कालिकता को देखते हुए, इसे रिकॉर्ड पर लिया गया है, हालांकि इसमें प्रतिवादियों के अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

21. हालांकि जवाबी हलफनामे में प्रतिवादियों ने कहा है कि परीक्षक को कैंची या कटर आदि का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन, यह न्यायालय इस तरह के रुख को स्वीकार करने में असमर्थ है। बॉक्स की प्रकृति और प्रकार को देखते हुए, जो मोटी/मजबूत चिपकने वाली टेप से भरा हुआ है, इसे खोलने के लिए कटर, कैंची या यहां तक कि चाबी जैसी किसी कठोर चीज के उपयोग की संभावना है।

22. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसने तुरंत निरीक्षक से प्रश्न पुस्तिका बदलने का अनुरोध किया था और ऐसा अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया, तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को परीक्षा में उपस्थित होने के तुरंत बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (जिसे आगे 'एनटीए' कहा जाएगा) के समक्ष ऐसी शिकायत उठानी चाहिए थी।

23. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और मूल अभिलेख सहित सामग्री का अवलोकन किया गया।

24. यह ध्यान देने योग्य है कि रिट याचिका के ज्ञापन के पैरा संख्या 7 में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि वह परीक्षा हॉल में पहला उम्मीदवार था और उसे प्रश्न पुस्तिकाओं वाले पैकेट से पहली प्रश्न पुस्तिका प्रदान की गई थी, इसलिए यह भी तथ्य है कि पैकेट खोलते समय उसकी प्रश्न पुस्तिका कट गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस तथ्य को उचित रूप से स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता की प्रश्न पुस्तिका कमरे के लिए बनाए गए पैकेट में पहली थी।

25. ऐसी स्थिति में, यदि परीक्षण पुस्तिकाओं की पैकेजिंग की प्रकृति को ध्यान में रखा जाए, तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि

पैकेट खोलते समय परीक्षक की असावधानी या चूक के कारण प्रश्न पुस्तिका फट गई या कट गई।

26. पैकेट के प्रकार और आकार को देखते हुए प्रतिवादियों का यह कहना कि निरीक्षक को पैकेट को बायीं या दायीं ओर से खोलने का निर्देश दिया गया था, वह भी कैंची/कटर का उपयोग किए बिना, समझ से परे है। इस न्यायालय के अनुसार, परीक्षण पुस्तिकाओं के पैकेट को केवल ऊपर-सामने की ओर से ही खोला जा सकता था।

27. दलीलों, तर्कों और अभिलेखों, विशेषकर मूल परीक्षण पुस्तिका, ओएमआर शीट और परीक्षण पुस्तिकाओं वाले पैकेट के मूल्यांकन के बाद, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के इस कथन को स्वीकार करने के लिए सहमत है कि परीक्षण पुस्तिका और ओएमआर शीट याचिकाकर्ता को सौंपे जाने से पहले ही फट गई थी।

28. इसलिए न्यायालय ने इस तरह के विरूपण के प्रभाव को देखने के लिए आगे बढ़ा और याचिकाकर्ता किस राहत का हकदार है। इस न्यायालय के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का तर्क कि प्रश्न संख्या 38 के लिए दिए गए नकारात्मक अंकों को सबसे अच्छे रूप में मिटाया जा सकता है / खारिज किया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में उनके प्रश्न संख्या 50 की जाँच नहीं की जा सकती है, कानून की नज़र में अस्थिर है।

29. यह सही है कि 31.05.2024 को भेजे गए ई-मेल में याचिकाकर्ता ने केवल प्रश्न संख्या 38 के संबंध में शिकायत की थी और उसने प्रश्न संख्या 50 के संबंध में शिकायत नहीं की थी। लेकिन यदि मामले के तथ्यों पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो यह ध्यान में रखना होगा कि 31.05.2024 तक याचिकाकर्ता को अपने अंकों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि परिणाम 04.06.2024 को घोषित हुआ। जब तक परिणाम घोषित नहीं हुआ और अंकों

की जानकारी नहीं दी गई, तब तक याचिकाकर्ता यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके प्रश्न संख्या 50 की जाँच प्रतिवादियों द्वारा नहीं की जाएगी।

30. जब याचिकाकर्ता के अंक घोषित किए गए और उसे अपनी ओएमआर शीट देखने की अनुमति दी गई, तभी उसे पता चला कि उसे प्रश्न संख्या 50 के संबंध में अंक नहीं दिए गए हैं।

31. यह ध्यान देने योग्य है कि अंतिम परिणाम 04.06.2024 को घोषित किया गया था और संशोधित परिणाम 26.07.2024 को घोषित किया गया था, और उसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका (30.07.2024 को) पेश की है। इसलिए, याचिका को न तो देरी और लापरवाही से ग्रस्त माना जा सकता है और न ही याचिकाकर्ता के इस तर्क के अधिकार को छीना जा सकता है कि उसके प्रश्न संख्या 50 की जाँच की जानी चाहिए।

32. महत्वपूर्ण निर्देशों के पैरा संख्या 2(बी) और उसके साथ संलग्न उप-पैरा में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि प्रतिवादियों को केवल पहले 10 प्रश्नों के उत्तरों की जाँच करनी थी।

33. यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ राय रखता है कि प्रश्न संख्या 38 के संबंध में याचिकाकर्ता की ओएमआर शीट को काटना/विकृत करना निरीक्षक या प्रतिवादियों के एजेंटों के कारण है। इसलिए प्रतिवादियों ने ओएमआर शीट के विकल्प संख्या 3 और 4 के पास की कटिंग को याचिकाकर्ता द्वारा भरा गया विकल्प मानने में गलती की है।

34. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल ओएमआर शीट में प्रश्न संख्या 38 के लिए कोई काला बुलबुला (नीली या काली स्याही से) नहीं है, जबकि

अभ्यर्थी को नीले या काले बॉल प्वाइंट पेन से बुलबुले को काला करना था (निर्देश संख्या 4 के अनुसार)।

35. जहां तक प्रश्न संख्या 38 का संबंध है, मूल ओएमआर शीट पर कोई नीला/काला निशान नहीं है। स्कैनर या कंप्यूटर ने प्रश्न संख्या 38 के पास के छेद को काला घेरा माना है, जबकि वहां स्याही का निशान भी नहीं था। ओएमआर शीट पर छेद या कटिंग को काला/नीला निशान नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रतिवादियों द्वारा कटिंग को याचिकाकर्ता द्वारा भरा गया विकल्प मानने की कार्रवाई अवैध और मनमानी है।

36. प्रतिवादियों ने प्रश्न संख्या 38 को गलत तरीके से हल किया हुआ मान लिया है, जिसे याचिकाकर्ता ने निर्विवाद रूप से अनदेखा कर दिया था (जैसा कि मूल ओएमआर शीट से स्पष्ट है) और इसलिए, प्रश्न संख्या 50 के संबंध में उनके उत्तर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रूपेश कुमार का तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है और इसे अस्वीकार किया जाता है।

37. यह गंभीर चिंता का विषय है कि याचिकाकर्ता को दो मामलों में दंडित किया गया है, वह भी उसकी किसी गलती या मूर्खता के बिना। उसे प्रश्न संख्या 38 के लिए नकारात्मक अंक दिए गए हैं, जिस पर वह उपस्थित नहीं हुआ था और फिर उसे प्रश्न संख्या 50 के संबंध में उसके सही उत्तर के लिए अंक नहीं दिए गए हैं।

38. इस न्यायालय को प्रतिवादियों के इस तर्क में कोई सार नहीं लगता कि याचिकाकर्ता को प्रश्न संख्या 50 के लिए अंक नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उसने 31.05.2024 को भेजे अपने ई-मेल में ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। कारण तलाशना बहुत दूर की बात नहीं है - वास्तव में, प्रश्न संख्या 50 के संबंध में याचिकाकर्ता की दलील को महत्व या ध्यान मिलता है, यदि प्रश्न

संख्या 38 के संबंध में उसकी दलील स्वीकार कर ली जाती है। जब तक प्रश्न संख्या 38 के संबंध में याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक प्रश्न संख्या 50 की जाँच नहीं की जा सकती, क्योंकि पैरा संख्या 2(बी) और उसके साथ संलग्न महत्वपूर्ण निर्देशों के उप-पैरा में निहित शर्त के कारण, क्योंकि प्रतिवादियों को उम्मीदवार द्वारा हल किए गए पहले 10 प्रश्नों की जाँच करनी थी। इसलिए, प्रश्न संख्या 50 की जाँच एक स्वतंत्र प्रार्थना नहीं है - यह प्रश्न संख्या 38 के संबंध में याचिकाकर्ता की पहली दलील को स्वीकार करने का परिणाम है।

39. प्रतिवादियों के मुंह से ऐसी दलील लेना उचित नहीं है, जब उन्होंने याचिकाकर्ता की वास्तविक शिकायत पर ध्यान ही नहीं दिया। यदि वे निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ते, तो याचिकाकर्ता को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ता।

40. श्री रूपेश कुमार का तर्क कि याचिकाकर्ता को दी गई किसी भी छूट से हजारों अभ्यर्थियों की स्थिति प्रभावित हो सकती है, इस न्यायालय को न्यायोचित आदेश पारित करने और याचिकाकर्ता के साथ की गई गलती को रद्द करने से नहीं रोकता। याचिकाकर्ता को दूसरों की गलती के लिए कष्ट सहना पड़ा है। उसे जो वैध रूप से मिलना चाहिए, वह न देकर ऐसी पीड़ा को कायम नहीं रखा जा सकता।

41. दिए गए कारणों और उपर्युक्त टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को याचिकाकर्ता के परिणाम को तुरंत संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है:

(i) प्रश्न संख्या 38 को अनुत्तरित माना जाए - विकल्प संख्या (3), जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने ऐसे प्रश्न के रूप में विचार किया है, को नजरअंदाज किया जाए और उसे दिए गए नकारात्मक अंक हटा दिए जाएं।

(ii) प्रश्न संख्या 50 के लिए उसके उत्तर की जाँच की जाए और यदि उसके द्वारा दिया गया विकल्प सही है, तो उसे अपेक्षित अंक दिए जाएँ।

42. याचिकाकर्ता का परिणाम 30.08.2024 को या उससे पहले घोषित किया जाए और उसे संशोधित अंक पत्र जारी किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि काउंसलिंग के दूसरे दौर के दौरान, उसके संशोधित अंकों पर विचार किया जाएगा और यदि उसे अपने संशोधित अंकों के अनुसार अपनी पसंद का संस्थान मिलता है, तो उसे वही प्रदान किया जाएगा।

43. तदनुसार, स्थगन आवेदन का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।